

6/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

प्रकरण संख्या 119/2024

दिनांक 05/08/24

उनवान

विश्राम पुत्र अर्जुन जाति रेगर निवासी ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर

राज0

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

**आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0 अधिनियम 1955 व
धारा 136 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956**

-: : आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ढाणी पुरोहितान व भूअ.नि. किशनगढ़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार किशनगढ़ की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ व जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता संख्या नया 500 पुराना 397, खाता संख्या नया 397 पुराना 207 एवं खाता संख्या नया 257 पुराना 207 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही करे।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ढाणी पुरोहितान	500	पप्पू पुत्र अर्जुन हिस्सा 5/126 जाति रेगर सा. देह खातेदार	पप्पू उर्फ विश्राम पुत्र अर्जुन हिस्सा 5/126 जाति रेगर सा. देह खातेदार शेष इन्द्राज जमाबन्दी बदस्तुर रहेगा।
2		397	पप्पू पुत्र अर्जुन हिस्सा 5/126 जाति रेगर सा. देह खातेदार	पप्पू उर्फ विश्राम पुत्र अर्जुन हिस्सा 5/126 जाति रेगर सा. देह खातेदार शेष इन्द्राज जमाबन्दी बदस्तुर रहेगा।
3		257	पप्पू पुत्र अर्जुन हिस्सा 311/2016 जाति रेगर सा. देह खातेदार	पप्पू उर्फ विश्राम पुत्र अर्जुन हिस्सा 311/2016 जाति रेगर सा. देह खातेदार शेष इन्द्राज जमाबन्दी बदस्तुर रहेगा।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05/08/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(अर्चना चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)